रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267407
CG-DL-E-06112025-267407

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4879] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947
No. 4879] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

का.आ. 5034(अ).— व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:-

और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श के पश्चात इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के 9 जून, 2025 के पत्र संख्या एचक्यू13081/3/2024-एयूटीएच-II मुख्यालय-भाग-(1)/सीओएमपी-16925 के साथ पठित भारत सरकार 29 मई, 2025 के अपने पत्र सं.13(3)/2023-ईजी.II को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय' कहा गया है) को सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के आधार प्रमाणीकरण के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विहित प्रयोजनों के लिए सूचित किया था कि भारत की प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री, केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त एजेंसी कहा गया है) संबंधी कार्यों के प्रमाणीकरण की अनुमति दी जा सकती है और आधार संख्या धारक की पहचान सत्यापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और उक्त नियमों के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन इसे अधिसूचित किया जा सकेगा।

और उक्त नियमों के नियम (3) के उप-नियम (1) के अधीन प्रदान किए गए सुशासन (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रयोजन कहा गया है) सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और उक्त अभिकरण, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के हां/नहीं विकल्प या ईकेवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा विनियमित संस्थाओं से प्राप्त आधार संख्या धारक के जनसांख्यिकीय ब्यौरे को प्रमाणित करने के प्रयोजन से आधार प्रमाणीकरण करेगी ।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय, निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्: -

1. उक्त अभिकरण, उपर्युक्त अधिनियम में उल्लिखित, इसमें प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

2. आधार प्रमाणीकरण उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त अभिकरण पहचान के निम्नलिखित वैकल्पिक और व्यवहार्य माध्यमों के बारे में आधार संख्या धारक को सूचित करेगा और आधार संख्या धारक को आधार प्रमाणीकरण कराने से इनकार करने या उसमें असमर्थ होने पर किसी भी सेवा से इनकार नहीं करेगी, अर्थात्:-

(क) पासपोर्ट;

(ख) ड्राइविंग लाइसेंस;

(ग) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र;

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा जारी जॉब कार्ड जिस पर राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों;

(ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण हो।

[फा. सं. 32/03/2025-डीआरटी]

सुधीर श्याम, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2025

S.O. 5034(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enabling individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies the processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India had conveyed *vide* its letter number13(3)/2023-EG.II, dated the 29th May, 2025, read with Unique Identification Authority of India's letter number HQ-13081/3/2024-Auth-II HQ-Part-(1)/Comp- 16925, dated the 9th June, 2025 to the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India (hereinafter referred to as the said Ministry) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India, performing the functions of the Central KYC Records Registry (hereinafter referred to as the said Agency) may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing the identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with subclause (ii) of

clause (b) of sub-section (4) section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for usage of digital platforms to ensure good governance (hereinafter referred to as the said purpose) as provided under sub-rule (1) of rule (3) of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Agency shall perform the Aadhaar authentication only for the purpose of authenticating demographic details of Aadhaar number holder received from the entities regulated by the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, International Financial Services Centres Authority and Pension Fund Regulatory and Development Authority under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003) Yes /No option or eKYC authentication facility.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely: -

1. The said Agency, as provided in the said Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

2. The Aadhaar authentication shall be on voluntary basis in accordance with sub-rule (2) of rule 3 of the said rules and the said Agency shall inform to the Aadhaar number holder of the following alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: -

(a) Passport;

(b) Driving License;

(c) Voter’s Identity Card issued by Election Commission of India;

(d) Job Card issued by National Rural Employment Guarantee Act duly signed by an officer of the State Government;

(e) letter issued by the National Population Register containing details of name, address.

[F. No. 32/03/2025-DRT]

SUDHIR SHYAM, Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.11.06 16:46:25 +05'30'